

न्यायालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड-मण्डलेश्वर

मण्डलेश्वर, दिनांक 29.06.2020

// सूचना //


कोरोना वायरस(कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्रमांक डी/2377, जबलपुर दिनांक 27.06.2020 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर के पृष्ठांकन क्रमांक/लेखा/2020, मण्डलेश्वर दिनांक 27.06.2020 के पालन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी पूर्व के सर्कुलर क्रमांक 05 दिनांकित 25.03.2020, सर्कुलर क्रमांक क्यू/12 दिनांकित 04.05.2020, सी/1455 दिनांकित 19.06.2020 एवं अन्य सर्कुलरस एवं क्लेरीफिकेशन को दिनांक 29.06.2020 से दिनांक 04.07.2020 तक बढ़ाये जाने से तथा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों अनुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाये गये नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनाकों को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किये जावेंगे -

सिविल एवं आपराधिक प्रकरण

(जमानत, अपील एवं अन्य प्रकरण जो अंतिम तर्क की स्टेज पर हैं, को छोड़कर)

क्र.	नियत तिथि	सिविल आगामी तिथि	आपराधिक आगामी तिथि
1.	29.06.2020	05.08.2020	05.08.2020
2.	30.06.2020	06.08.2020	06.08.2020
3.	01.07.2020	07.08.2020	07.08.2020
4.	02.07.2020	10.08.2020	10.08.2020
5.	03.07.2020	11.08.2020	11.08.2020
6.	04.07.2020	13.08.2020	13.08.2020


(बी०आर० पाटिल)
सत्र न्यायाधीश,
पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर

न्यायालय: श्रीमती संगीता डावर मौर्य, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
प०निमाड- मण्डलेश्वर(म०प्र०)

जा०क्र०- /आप०

मण्डलेश्वर, दिनांक 29-06-2020

[[आम सूचना]]

कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्बन्ध में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी सर्कुलर क्रमांक D/2377 जबलपुर दिनांकित, 27-06-2020 में प्रसारित दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण सम्पूर्ण देश में दिनांक 04-07-2020 तक विस्तारित लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय में लम्बित समस्त दिवानी एवं आपराधिक प्रकरण निम्न सारणी अनुसार नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिती सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जाएंगे।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल अंतिम तर्क से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी तथा रिमाण्ड व जमानत सम्बन्धी प्रकरणों की एवं स्थगन से सम्बन्धित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहियाँ, दिनांक 04-07-2020 तक स्थगित रहेंगी।

दिवानी एवं आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियाँ

क्रमांक	दिवानी एवं आपराधिक प्रकरणों में नियत दिनांक	दिवानी एवं आपराधिक प्रकरणों में आगामी नियत दिनांक	अण्डरट्रायल प्रकरण	ग्राम न्यायालय में लम्बित प्रकरण
01	29-06-2020	22-07-2020	13-07-2020	13-07-2020
02	30-06-2020	23-07-2020	08-07-2020	-
03	01-07-2020	-	-	-
04	02-07-2020	-	-	-
05	03-07-2020	23-07-2020	-	17-07-2020
06	04-07-2020	-	-	-

तदनुसार समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकारण को सूचित हों।

{ श्रीमती संगीता डावर मौर्य }
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
प नि. मण्डलेश्वर(म.प्र.)

